भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1553
बुधवार, दिनांक 04 दिसम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>सोलर पंप की किस्त का भुगतान</u>

1553. डॉ. अमर सिंहः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस विचार से सहमत है कि किसानों को सौर पंपों के लिए किश्तों में भुगतान करने की अनुमति दी जानी चाहिए, जिससे उनके लिए यह वित्तीय रूप से अधिक सुविधाजनक होगा;

(ख) प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना को किसानों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) जी, हाँ।

(ख) और (ग): पीएम-कुसुम योजना के अंतर्गत सौर पम्प दो मोड में कार्यान्वित किए जा सकते हैं:-

i. 30 प्रतिशत की केन्द्रीय वित्तीय सहायता के साथ; 30 प्रतिशत तक राज्य का हिस्सा तथा किसान द्वारा शेष 40 प्रतिशत तक का वहन किया जाएगा।
ii. केवल 30 प्रतिशत की केन्द्रीय वित्तीय सहायता से तथा शेष 70 प्रतिशत तक का वहन किसान को करना होगा।

इन दोनों ही तरीकों में किसान को अपना हिस्सा देना होता है।

*****